



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2018—फाल्गुन 7, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-5, पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2018

बैतूल विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 881-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैतूल विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

- आयुक्त, होशंगाबाद संभाग, नर्मदापुरम,
- कलेक्टर, बैतूल, जिला बैतूल
- सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बैतूल
- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, बैतूल.

### अनुसूची

| क्र. | विकास योजना (नगर का नाम) | विकास योजना में भूमि में उपयोग | अध्याय | विकास योजना की सारणी/कंडिका/क्रमांक | सारणी/कंडिका/कॉलम क्रमांक का सरल क्रमांक | उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग |
|------|--------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)                      | (3)                            | (4)    | (5)                                 | (6)                                      | (7)                                                                                                   |
| 1    | बैतूल विकास योजना 2021.  | सार्वजनिक एवं अद्व-सार्वजनिक.  | 4      | 4-सा-17                             | 4                                        | सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषकारी उद्योग**                                                       |

| (1)  | (2) | (3)     | (4) | (5)                                                                                                                                                         | (6) | (7) |
|------|-----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| कृषि | 4   | 4-सा-17 | 7   | सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे. |     |     |

**व्याख्या—**

- i \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- ii \*\*गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- iii \*\*\*कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) अनुसार।

**टीप:**—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्यप्रदेश राजपत्र” में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

**स्वाति मीणा नायक,** संचालक।